राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा सत्र 2024–25
आवेदन पत्र भरने के निर्देश
शिक्षक हेतु दिशा निर्देश

राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का आवेदन भरने के पहले नीचे दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढें:–

राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन पत्र भरने हेतु पात्रता की शर्ते

- इस छात्रवृत्ति हेतु केवल मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2024–25 में कक्षा 8 वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र है।
- विद्यार्थी ने कक्षा 7 वीं में कम से कम ''सी'' ग्रेड प्राप्त किया हो।
- विद्यार्थी के अभिभावक की सकल वार्षिक आय रू. 3.50 लाख या उससे कम हो।
- आवेदन पत्र केवल अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में ही भरा जाये।
- राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा का ऑनलाईन आवेदन फार्म स्कूल शासकीय शिक्षक की LOGIN ID के माध्यम से राज्य शिक्षा केन्द्र की वेबसाइट की लिंक www.rskmp.in पर ही भरे जायेंगें।
- स्कूल शिक्षक की ID पर NMMSS Menu के अंतर्गत Registration की सुविधा उपलब्ध होगी जिसमे स्कूल के UDISE CODE के अंतर्गत सभी कक्षा 8 वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सूची दिखाई देगी।
- जिस विद्यार्थी को राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा के लिए चयनित किया जाना है। उस विद्यार्थी की समग्र आईडी पर Click करने के उपरांत Application Form Open होगा जिसमें पूर्व से प्राप्त समस्त जानकारी Editable Text Box में दिखाई देगी।
- उपलब्ध सभी जानकारी को शिक्षक द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संशोधन उपरांत तथा अतिरिक्त जानकारी को भरकर शिक्षक Application Form को Submits कर सकते है। (शिक्षकों को उपलब्ध जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा फिर जहाँ आवश्यक हो वहाँ संशोधन करना होगा। त्रुटिपूर्ण आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा)
- शिक्षकों को Application Form भरने के उपरांत उस विद्यार्थी के निम्न दस्तावेजों की फोटोकॉपी का फोल्डर बनाना होगा जिसके प्रत्येक पेज पर विद्यार्थी की समग्र आईडी लिखी जायेगी तथा अंतिम पेज के पीछे निम्न जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
  1. विद्यार्थी का नाम एवं समग्र आईडी।
  2. विद्यालय का नाम एवं डाईस कोड।
  3. शिक्षक का नाम एवं मोबाईल नम्बर एवं आईडी।
- समस्त विद्यार्थी जिनको राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा के लिए Nominate किया गया है उनके निम्न दस्तावेजों को संकुल प्राचार्य को संधारित करने हेतु प्रेषित किया जायेगा।
  1. कक्षा 7 वीं की अंकसूची।
  2. आय प्रमाण–पत्र।
  3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तता प्रमाण पत्र।
  4. छात्र का नवीन रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, दिनांक एवं हस्ताक्षर सहित।
  5. आधार कार्ड की छायाप्रति।

——000——

संकुल प्राचार्य

- ऑनलाईन आवेदन में नियत स्थान पर विद्यार्थी का नवीन पासपोर्ट फोटो स्केन कर लगाया जाये एवं विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर सहित हो। फोटो में चेहरा स्पष्ट व साफ हो।
- फार्म में सभी जानकारी जो भरी जा रही है वह संकुल प्राचार्य से प्रमाणीकृत हो, यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्त हो तो सम्बंधित प्रविष्टि फार्म में जरूर करें। जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता का सर्टीफिकेट की सत्यापित प्रति संकुल में संधारित करके रखी जायेगी।
- राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत शासन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता है। उन्हें सामान्य श्रेणी में ही मान्य किया जाता है। अतः ओबीसी वर्ग में छात्र आवेदन पत्र में सामान्य श्रेणी में ही (√) टिक का निशान लगाये।
- राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा आनलाईन आवेदन का फार्म भरते समय वही जानकारी भरी जाये जो विद्यार्थी के आधार कार्ड में है। आधार कार्ड, अंकसूची एवं बैंक एकांउट में जानकारी समान होना चाहिए। इसमें भिन्नता होने पर छात्रवृत्ति से वंचित रहने की स्थिति में सत्यापनकर्ता (INO) की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
- विकलांग (निशक्तजन) श्रेणी में आरक्षण की पात्रता 40 प्रतिशत या अधिक हो। अतः विकलांग श्रेणी में आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी के निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाये।
- आवेदन पत्र सही–सही भरा जाये, आवेदन पत्र शिक्षक द्वारा या संकुल पर निःशुल्क भरा जायेगा।
- राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना चयन परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत चयनित किये गये विद्यार्थी के आवेदन पत्र संकुल प्रचार्य द्वारा विहित आय प्रमाण–पत्र तथा भारतीय स्टेट बैंक (SBI)/राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते एवं बैंक शाखा का आईएफएससी कोर्ड इत्यादि की जानकारी छात्रवृत्ति वितरण हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से भरी जायेगी।
- छात्रवृत्ति प्राप्त हेतु चारो वर्ष में खाता नम्बर आधार नम्बर तथा मोबाईल नम्बर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये परिवर्तन की स्थिति में छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह सकता है।

———000———